रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927
No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

सा.का.नि. 379(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 द्वारा सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः —

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(1) ये नियम विद्युत नियम, 2005 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक परिप्रेक्ष्य अन्यथा अपेक्षा नहीं करे :

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 है ;

(ख) यहां इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्ति का अर्थ उन्हें अधिनियम में दिया गया अर्थ होगा।

3. कैप्टिव उत्पादक संयंत्र की आवश्यकताएं :

(1) कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) के साथ पठित धारा 9 के अधीन तब तक "कैप्टिव उत्पादक संयंत्र" के रूप में अर्हक नहीं होगा –

(क) विद्युत संयंत्र के मामले में ---

(i) स्वामित्व का कम-से-कम छब्बीस प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित है, और

(ii) वार्षिक आधार पर निर्धारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत के कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत की खपत कैप्टिव प्रयोग के लिए की जाती है :

बशर्ते कि पंजीकृत सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में ऊपर पैराग्राफ (i) और (ii) के अधीन उल्लिखित शर्तों की पूर्ति सहकारी सोसायटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से की जाएगी :

आगे बशर्ते कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) संयंत्र में कुल कम-से-कम छब्बीस प्रतिशत का स्वामित्व धारित करेंगे और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) दस प्रतिशत की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित उत्पादित विद्युत के कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत की खपत करेंगे ;

(ख) ऐसे उत्पादक स्टेशन के मामले में जिसका स्वामित्व ऐसे उत्पादक स्टेशन के लिए विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित कंपनी द्वारा किया जाता है, कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात ऐसे उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा यूनिटें निम्नलिखित सहित ऊपर उप-खंड (क) के पैराग्राफ (i) और (ii) में विहित शर्तें पूरी करती हैं न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन।

स्पष्टीकरण :-

(1) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली अपेक्षित विद्युत का निर्धारण कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों द्वारा कुल खपत के संदर्भ में किया जाएगा न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के सदंर्भ में ; और

(2) उत्पादक स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित इक्विटी शेयर कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों से संबद्ध कंपनी की इक्विटी के समानुपात का छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा।

उदाहरण : प्रत्येक 50 मेगावाट की क्षमता वाली दो यूनिटों नामतः 'क' और 'ख' सहित एक उत्पादक स्टेशन में 50 मेगावाट की एक यूनिट नामतः यूनिट 'क' को कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात किया जा सकता है। कैप्टिव प्रयोक्ता कंपनी में इक्विटी शेयर का तेरह प्रतिशत से कम (50 प्रतिशत की यूनिट 'क' के समानुपात में छब्बीस प्रतिशत वाली) धारित नहीं करेंगे और कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित यूनिट 'क' में उत्पादित विद्युत का इक्यावन प्रतिशत से कम खपत नहीं किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित करना कैप्टिव प्रयोक्ताओं का दायित्व होगा कि ऊपर उप-नियम (1) के उप-खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रतिशतता पर कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत बनाई रखी जाती है और अगर किसी भी वर्ष में कैप्टिव प्रयोग की न्यूनतम प्रतिशतता का पालन नहीं किया जाता है तो उत्पादित संपूर्ण विद्युत को ऐसा माना जाएगा मानों यह किसी उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति है।

स्पष्टीकरण :- (1) इस नियम के प्रयोजनार्थ –

(क) **"वार्षिक आधार"**किसी वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ;

(ख) **"कैप्टिव प्रयोक्ता"** का अर्थ किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंत प्रयोक्ता होगा और "कैप्टिव प्रयोक्ता" शब्द का तदनुसार अर्थ माना जाएगा ;

(ग) किसी उत्पादक स्टेशन अथवा किसी कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के संबंध में **"स्वामित्व"** का अर्थ मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर पूंजी होगा। अन्य मामलों में स्वामित्व का अर्थ उत्पादक स्टेशन अथवा विद्युत संयंत्र पर मालिकाना हित और नियंत्रण होगा ;

(घ) **"विशेष प्रयोजन साधन"** का अर्थ किसी उत्पादक स्टेशन का स्वामित्व रखने, प्रचालित करने और अनुरक्षण करने वाला कानूनी संगठन होगा और इस कानूनी संगठन द्वारा कोई अन्य व्यवसाय अथवा कार्यकलाप नहीं किया जाएगा।

4. **वितरण प्रणाली :** अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (19) के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली में विद्युत लाइन, सब-स्टेशन और विद्युतीय संयंत्र भी शामिल होंगे, जिनका प्राथमिक तौर पर इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसी लाइन, सब-स्टेशन अथवा विद्युतीय संयंत्र उच्च दाब केबल अथवा ऊपरी लाइनें हैं अथवा ऐसे उच्च दाब केबलों अथवा ऊपरी लाइनों से संबद्ध हैं; अथवा अन्यों के लिए विद्युत पारेषित करने के प्रयोजनार्थ आनुषंगिक प्रयोग किया जाता है, ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण करने के प्रयोजनार्थ रख-रखाव किया जाता है।

5. **पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा दिए निर्देशों का अनुपालन :**

(1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र,क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, जैसा भी मामला हो ; अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र अधिनियम की धारा 40 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 26, धारा 28 की उप-धारा (3) ; धारा 29 की उप-धारा (1), धारा 32 की उप-धारा (2) और धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे निर्देश दे सकते हैं, जिन्हें वे किसी पारेषण लाइसेंसधारी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझें और पारेषण लाइसेंसधारी ऐसे सभी निर्देशों का विधिवत पालन करेगा।

(2) उपयुक्त आयोग, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दाखिल आवेदन पर और पारेषण लाइसेंसधारी की सुनवाई करने के बाद अगर संतुष्ट है कि पारेषण लाइसेंसधारी निरंतर रूप से पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने में विफल रहा है तो वह राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऐसी अवधि और ऐसी शर्तों पर जैसा आयोग निर्णय ले ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी की पारेषण प्रणाली के प्रचालन का नियंत्रण अपने पास लेने का निर्देश जारी कर सकता है।

(3) ऊपर उप-नियम (1) और (2) के अधीन निर्देश किसी अन्य कार्रवाई, जो अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन पारेषण लाइसेंसधारी के विरूद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

6. **धारा 38 के अधीन अधिभार :** धारा 38 के अधीन पारेषण प्रभार पर अधिभार, धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के उप-खंड (ii) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अधिभार की प्रगामी कमी का तरीका और ऐसे अधिभार के भुगतान और उपयोग का तरीका अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन उस राज्य, जिसमें उपभोक्ता स्थित है, के उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले व्हीलिंग के लिए प्रभार पर अधिभार, ऐसे अधिभार की प्रगामी प्रयोग के तरीके और ऐसे अधिभार के भुगतान और उपयोग के तरीके के अनुसार होगा।

7. **उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और निर्णायक :** (1) वितरण लाइसेंसधारी धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा, जिसमें लाइसेंसधारी के अधिकारीगण शामिल होंगे।

(2) अधिनियम की धारा 42 की उप-धारक (6) के अधीन राज्य आयोग द्वारा नियुक्त अथवा नामोदिष्ट किया जाने वाला निर्णायक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका समय-समय पर राज्य आयोग निर्णय करे।

(3) निर्णायक इस संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के पूर्व अधिनियम के उपबंधों, यहां इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों अथवा उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए सामान्य आदेशों अथवा निर्देशों पर विचार करेगा।

(4) (क) निर्णायक अपने द्वारा निपटाए जाने वाली उपभोक्ता की शिकायतों की प्रकृति, शिकायतों के निवारण में लाइसेंसधारी के प्रत्युत्तर और पिछले छः महीनों के दौरान अधिनियम की धारा 57 के अधीन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन के मानकों का लाइसेंसधारी के अनुपालन पर निर्णायक की राय का ब्यौरा देते हुए छःमाही आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ख) उपरोक्त उप-खंड (क) के अधीन रिपोर्ट छः महीने की संगत अवधि की समाप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर राज्य आयोग और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

8. **धारा 79 के अधीन उत्पादक कंपनियों का टैरिफ :** अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (क) अथवा (ख) के अधीन उत्पादक कंपनियों के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (क) अथवा (ख) के अधीन कार्यों के प्रयोग में राज्य आयोग द्वारा पुनर्निर्धारण के अधीन नहीं होगा और उपरोक्त के अधीन राज्य आयोग यह निर्धारित कर सकता है कि क्या राज्य में किसी वितरण लाइसेंसधारी को केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर ऐसी किसी उत्पादक कंपनियों के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) करना अथवा अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए या नहीं।

9. **अंतर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस :** अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 14 के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय प्रचालन के लिए किसी विद्युत के व्यापारी को जारी लाइसेंस विद्युत के ऐसे व्यापारी को किसी राज्य में बिक्रेता से विद्युत खरीदने और ऐसे विद्युत को ऐसे राज्य के राज्य आयोग से अंतःराज्य व्यापार के लिए पृथक लाइसेंस लेने की आवश्यकता के बिना उसी राज्य में किसी क्रेता को ऐसे विद्युत की दुबारा बिक्री करने का भी हकदार बनाएगा।

10. **अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील :** अधिनियम की धारा 111 की उप-धारा (2) के अनुसार अधिनियम के लागू होने के बाद न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोग द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील केन्द्र सरकार द्वारा यथाअधिसूचित तारीख, जिस दिन से अपीलीय न्यायाधिकरण कार्य करना प्रारंभ करता है, से पैंतालीस दिनों के भीतर दाखिल की जा सकती है।

11. **न्यायालयों का क्षेत्राधिकार :** धारा 154 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 153 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय गठित होने के समय तक बाधित नहीं होगा।

12. **अपराध का संज्ञान :** (1) पुलिस को उपयुक्त सरकार अथवा उपयुक्त आयोग अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अथवा लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई लिखित शिकायत पर अधिनियम के अधीन पुलिस दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगी।

(2) पुलिस किसी शिकायत की जांच के लिए लागू सामान्य कानून के अनुसार शिकायत की जांच करेगी। शिकायत की जांच के प्रयोजनार्थ पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथाउपलब्ध सभी शक्तियां होंगी।

(3) जांच के बाद पुलिस उप-खंड (1) के अधीन दाखिल शिकायत के साथ एक रिपोर्ट अधिनियम के अधीन विचारण के लिए न्यायालय को अग्रेषित करेगी।

(4) उपरोक्त उप-खंड (1), (2) और (3)में कुछ विहित होते हुए भी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत उपयुक्त सरकार अथवा उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अथवा लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा सीधे उपयुक्त न्यायालय में दाखिल की जा सकती है।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ विहित होते हुए भी प्रत्येक विशेष न्यायालय विचारण के लिए उसे अभियुक्त को सुपुर्द किये बिना अधिनियम की धारा 135 से 139 में उल्लिखित अपराध का संज्ञान ले सकता है।

(6) अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान किसी भी प्रकार भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन कार्रवाईयों को प्रभावित नहीं करेगा ।

13. आदेश और व्यवहार संबंधी निर्देश जारी करना :

केन्द्र सरकार समय-समय पर इन नियमों के कार्यान्वयन और जैसा केन्द्र सरकार उपयुक्त समझे उसके प्रासंगिक अथवा सहायक मामलों के संबंध में आदेश और व्यवहार संबंधी निर्देश जारी कर सकती है।

[फा. सं. 23/54/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2005

G.S.R. 379(E).—In exercise of powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules shall be called the Electricity Rules, 2005.

(2) These Rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise, requires:

(a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003;

(b) the words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act

3. Requirements of Captive Generating Plant.-

(1) No power plant shall qualify as a 'captive generating plant' under section 9 read with clause (8) of section 2 of the Act unless-

(a) in case of a power plant -

(i) not less than twenty six percent of the ownership is held by the captive user(s), and

(ii) not less than fifty one percent of the aggregate electricity generated in such plant, determined on an annual basis, is consumed for the captive use:

Provided that in case of power plant set up by registered cooperative society, the conditions mentioned under paragraphs at (i) and (ii) above shall be satisfied collectively by the members of the co-operative society:

Provided further that in case of association of persons, the captive user(s) shall hold not less than twenty six percent of the ownership of the plant in aggregate and such captive user(s) shall consume not less than fifty one percent of the electricity generated, determined on an annual basis, in proportion to their shares in ownership of the power plant within a variation not exceeding ten percent;

(b) in case of a generating station owned by a company formed as special purpose vehicle for such generating station, a unit or units of such generating station identified for captive use and not the entire generating station satisfy (s) the conditions contained in paragraphs (i) and (ii) of sub-clause (a) above including -

Explanation :-

(1) The electricity required to be consumed by captive users shall be determined with reference to such

generating unit or units in aggregate identified for captive use and not with reference to generating station as a whole; and

(2) the equity shares to be held by the captive user(s) in the generating station shall not be less than twenty six per cent of the proportionate of the equity of the company related to the generating unit or units identified as the captive generating plant.

Illustration: In a generating station with two units of 50 MW each namely Units A and B, one unit of 50 MW namely Unit A may be identified as the Captive Generating Plant. The captive users shall hold not less than thirteen percent of the equity shares in the company (being the twenty six percent proportionate to Unit A of 50 MW) and not less than fifty one percent of the electricity generated in Unit A determined on an annual basis is to be consumed by the captive users.

(2) It shall be the obligation of the captive users to ensure that the consumption by the Captive Users at the percentages mentioned in sub-clauses (a) and (b) of sub-rule (1) above is maintained and in case the minimum percentage of captive use is not complied with in any year, the entire electricity generated shall be treated as if it is a supply of electricity by a generating company.

Explanation.- (1) For the purpose of this rule.-

(a) **"Annual Basis"** shall be determined based on a financial year;

(b) **"Captive User"** shall mean the end user of the electricity generated in a Captive Generating Plant and the term "**Captive Use**" shall be construed accordingly;

(c) **"Ownership"** in relation to a generating station or power plant set up by a company or any other body corporate shall mean the equity share capital with voting rights. In other cases ownership shall mean proprietary interest and control over the generating station or power plant;

(d) **"Special Purpose Vehicle"** shall mean a legal entity owning, operating and maintaining a generating station and with no other business or activity to be engaged in by the legal entity.

IndiaCode

4. Distribution System.- The distribution system of a distribution licensee in terms of sub-section (19) of section 2 of the Act shall also include electric line, sub-station and electrical plant that are primarily maintained for the purpose of distributing electricity in the area of supply of such distribution licensee notwithstanding that such line, sub-station or electrical plant are high pressure cables or overhead lines or associated with such high pressure cables or overhead lines; or used incidentally for the purposes of transmitting electricity for others.

5. Compliance with the directions by Transmission Licensee.-

(1) The National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre, as the case may be, or the State Load Despatch Centre, may, under section 26, sub-section (3) of section 28, sub-section (1) of section 29, sub-section (2) of section 32 and sub-section (1) of section 33 read with clause (b) of section 40 of the Act, give such directions,

as it may consider appropriate for maintaining the availability of the transmission system of a Transmission Licensee and the Transmission Licensee shall duly comply with all such directions.

(2) The Appropriate Commission, on an application filed by the National Load Despatch Centre, the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre and after hearing the Transmission Licensee, if satisfied that the Transmission Licensee has persistently failed to maintain the availability of the transmission system, may issue such directions to the National Load Despatch Centre, the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre to take control of the operations of the transmission system of such Transmission Licensee for such period and on such terms, as the Commission may decide.

IndiaCode

(3) The direction under sub-rules (1) and (2) above shall be without prejudice to any other action which may be taken against the Transmission Licensee under other provisions of the Act.

6. The surcharge under section 38 : The surcharge on transmission charges under section 38, the manner of progressive reduction of such surcharge and the manner of payment and utilization of such surcharge to be specified by the Central Commission under sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (2) of section 38 shall be in accordance with surcharge on the charges for wheeling, the manner of progressive reduction of such surcharge and the manner of payment and utilization of such surcharge as may be specified by the Appropriate Commission of the State in which the consumer is located under sub-section (2) of section 42 of the Act.

7. **Consumer Redressal Forum and Ombudsman.-** (1) The distribution licensee shall establish a forum for redressal of grievances of consumers under sub-section (5) of section 42 which shall consist of officers of the licensee.

(2) The Ombudsman to be appointed or designated by the State Commission under sub-section (6) of section 42 of the Act shall be such person as the State Commission may decide from time to time.

(3) The Ombudsman shall consider the representations of the consumers consistent with the provisions of the Act, the Rules and Regulations made hereunder or general orders or directions given by the Appropriate Government or the Appropriate Commission in this regard before settling their grievances.

India Code

(4) (a) The Ombudsman shall prepare a report on a six monthly basis giving details of the nature of the grievances of the consumer dealt by the ombudsman, the response of the Licensees in the redressal of the grievances and the opinion of the ombudsman on the Licensee's compliance of the standards of performance as specified by the Commission under section 57 of the Act during the preceding six months.

(b) The report under sub-clause (a) above shall be forwarded to the State Commission and the State Government within 45 days after the end of the relevant period of six months.

8. **Tariffs of generating companies under section 79.-** The tariff determined by the Central Commission for generating companies under clause (a) or (b) of sub-section (1) of section

17566/05-4

79 of the Act shall not be subject to re-determination by the State Commission in exercise of functions under clauses (a) or (b) of sub-section (1) of section 86 of the Act and subject to the above the State Commission may determine whether a Distribution Licensee in the State should enter into Power Purchase Agreement or procurement process with such generating companies based on the tariff determined by the Central Commission.

9. **Inter-State trading Licence.-** A licence issued by the Central Commission under section 14 read with clause (e) of sub-section (1) of section 79 of the Act to an electricity trader for Inter-State Operations shall also entitle such electricity trader to undertake purchase of electricity from a seller in a State and resell such electricity to a buyer in the same State, without the need to take a separate licence for intra-state trading from the State Commission of such State.

10. **Appeal to the Appellate Tribunal.-** In terms of sub-section (2) of section 111 of the Act, the appeal against the orders passed by the adjudicating officer or the appropriate commission after the coming into force of the Act may be filed within forty-five days from the date, as notified by the Central Government, on which the Appellate Tribunal comes into operation.

11. **Jurisdiction of the courts.-** The Jurisdiction of courts other than the special courts shall not be barred under sub-section (1) of section 154 till such time the special court is constituted under sub-section (1) of section 153 of the Act.

12. **Cognizance of the offence-** (1) The police shall take cognizance of the offence punishable under the Act on a

complaint in writing made to the police by the Appropriate Government or the Appropriate Commission or any of their officer authorized by them in this regard or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or an authorized officer of Licensee or a Generating Company, as the case may be.

(2) The police shall investigate the complaint in accordance with the general law applicable to the investigation of any complaint. For the purposes of investigation of the complaint the police shall have all the powers as available under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) The police shall, after investigation, forward the report along with the complaint filed under sub-clause (1) to the Court for trial under the Act.

IndiaCode

(4) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (1), (2) and (3) above, the complaint for taking cognizance of an offence punishable under the Act may also be filed by the Appropriate Government or the Appropriate Commission or any of their officer authorized by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or an authorized officer of Licensee or a Generating Company, as the case may be directly in the appropriate Court.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, every special court may take cognizance of an offence referred to in sections 135 to 139 of the Act without the accused being committed to it for trial.

(6) The cognizance of the offence under the Act shall not in any way prejudice the actions under the provisions of the Indian Penal Code.

13. Issue of Orders and Practice Directions.-

The Central Government may from time to time issue Orders and practice directions in regard to the implementation of these rules and matters incidental or ancillary thereto as the Central Government may consider appropriate.

[F. No. 23/54/2004-R & R]
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.